

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2013-14/4/2164-75 दिनांक: 12/8/13  
विषय:— राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश एवं चेकलिस्ट।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तन्त्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि प्रत्येक निर्धारित स्तर पर निश्चित तिथि में बैठक आयोजित की जाये।

मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन:—

उद्देश्य:—

- नवीन दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों को उपलब्ध कराया जाना एवं चर्चा।
- विगत माह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण एवं अनुपालन।
- भ्रमण आख्या पर फीडबैक एवं अनुपालन आख्या।

बैठकों की समय सारणी:—

मण्डल स्तर:	प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में।
जनपद स्तर:	प्रत्येक माह की 7 से 9 तारीख के मध्य।
ब्लॉक स्तर:	प्रत्येक माह की 10 से 13 तारीख के मध्य।

1. मण्डल स्तर पर आयोजित बैठक में प्रति भाग करने वाले अधिकारीगण— मण्डल के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य/प्रमुख चिकित्साअधीक्षक जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं अधिकारी जिन्हें मण्डलीय अपर निदेशक बैठक में आमंत्रित करना चाहें। उपर्युक्त बैठकों में राज्य स्तर से संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जा सकता है।
2. जनपद स्तर पर आयोजित बैठक में प्रति भाग करने वाले अधिकारीगण— सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0सी0पी0एम0 अन्य अधिकारी गण जिन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी बैठक में आमंत्रित करना चाहें। उपर्युक्त बैठकों में मण्डलीय स्तर से अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक होगा।
3. सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयोजित बैठक में प्रति भाग करने वाले अधिकारीगण— नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी एवं ए0एन0एम0 तथा समस्त पर्यवेक्षण महिला एवं पुरुष अन्य कार्यकर्ताओं को जिन्हें अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक में आमंत्रित करना चाहें। उपर्युक्त बैठकों में जनपद स्तर से अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु भ्रमण कार्यक्रम:—

उद्देश्य:—

- दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों की अनुपालन स्थिति।
- निर्धारित चेक लिस्ट के माध्यम से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति।

- भ्रमण आख्या पर फीडबैक एवं अनुपालन की स्थिति।
- फीड बैक के आधार पर सुधार सुनिश्चित कराया जाना।

सुपरवाइजर अधिकारी को पर्यवेक्षण से सम्बन्धित न्यूनतम कार्यभार प्रदान किया जाये एवं उसके द्वारा किये गये कार्यों का सतत सत्यापन एवं अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु निम्नलिखित पुनरीक्षित व्यवस्था की जा रही है:

- प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी हेतु मासिक भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया जाना एवं उनके द्वारा इकाई/गतिविधिवार पर्यवेक्षण कर एक निर्धारित प्रारूप पर विवरण प्राप्त किये जाने की व्यवस्था।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सम्बन्धित प्रारूपों को संकलित कर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की पर्यवेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण कर संकलित रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित किया जाना।
- इस कार्य के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार उन्हें परिवहन हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निश्चित कार्यभार देते हुये अनुश्रवण हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है:

#### मण्डल स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु:

**मण्डलीय अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मण्डलीय अभियन्ता एवं मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक**— मण्डलीय अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा माह में 8 विजिट (1 दिवसीय) की जानी है। अधिकारियों द्वारा अपने अधीन जनपदों में क्षेत्रीय भ्रमण हेतु उनकी सुविधा के लिये निम्नवत पर्यवेक्षण कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है:—

- 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— एफ.आर.यू. प्रति विजिट अथवा
- 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— एफ.आर.यू. एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति विजिट अथवा
- 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आउटरीच गतिविधियां जैसे— नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जननी सुरक्षा योजना।
- मण्डलीय अभियन्ता निर्माण अनुभाग से उपलब्ध करायी गयी चेकलिस्ट पर क्षेत्रीय भ्रमण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।
- मण्डल स्तरीय सभी भ्रमण हेतु मासिक कैलेण्डर मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा ये दोनों अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मण्डल स्तरीय सभी स्वास्थ्य इकाईयां वर्ष भर में कवर हो जायें।

**वित्तीय व्यवस्था:** मण्डल स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में भ्रमण हेतु 1 अतिरिक्त किराये के वाहन अधिकतम ₹0 25,000/- प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से सुविधा प्रदान की गयी है। सरकारी वाहन उपलब्ध न होने की अवस्था में मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा 1 वाहन जोकि टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत हो, को नियमानुसार अधिकतम मासिक दर ₹0 25,000/- प्रतिमाह प्रति वाहन किराये पर लिया जाना है। समस्त मण्डल स्तरीय अधिकारी जिनके पास सरकारी वाहन या पूर्व से उपलब्ध वाहन नहीं है वह इस वाहन का उपयोग पूर्ण मितव्ययिता का पालन करते हुये करेंगे इसके लिये प्रतिमाह प्रत्येक अधिकारी द्वारा अग्रिम भ्रमण योजना तैयार की जाये, जिसको राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।

#### जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु:

**मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिला लेखा प्रबन्धक, प्रशासनिक अधिकारी (ए.ओ.) एवं जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी (डी.एच.आई.ओ.)** —

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिमाह कम-से-कम 2 विजिट की जानी हैं जिसमें जनपद की खराब उपलब्धि वाली स्वास्थ्य इकाई को प्राथमिकता के आधार पर विजिट किया जाना है।

अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा माह में अपने अधीनस्त ब्लाक में 8 विजिट प्रति माह की दर से विजिट की जानी है जनपद स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में भ्रमण हेतु निम्नवत पर्यवेक्षण कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है:

- 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/1 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निरीक्षण अथवा
- 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निरीक्षण अथवा
- 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 1 आउटरीच गतिविधियां जैसे- नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जननी सुरक्षा योजना।
- प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ब्लाक में किसी भी सरकारी कार्य हेतु विजिट कर सकते हैं।
- जनपद स्तरीय सभी भ्रमण हेतु मासिक कैलेण्डर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा ये दोनों अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य इकाईयां वर्ष भर में कवर हो जायें।

**वित्तीय व्यवस्था:** जनपद स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में भ्रमण हेतु 2 अतिरिक्त किराये के वाहन अधिकतम ₹0 25,000/- प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से सुविधा प्रदान की गयी है। सरकारी वाहन उपलब्ध न होने की अवस्था जनपद स्तरीय अधिकारियों हेतु 2 वाहन जोकि टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत हो, को नियमानुसार अधिकतम मासिक दर ₹0 25,000/- प्रतिमाह प्रति वाहन किराये पर लिया जाना है। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी जिनके पास सरकारी वाहन या पूर्व से उपलब्ध वाहन नहीं है वह इस वाहन का उपयोग पूर्ण मितव्ययिता का पालन करते हुये करेंगे इसके लिये प्रतिमाह प्रत्येक अधिकारी द्वारा अग्रिम भ्रमण योजना तैयार की जाये, जिसको मण्डल राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।

**नोट:** मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक जिनके पास पूर्व से सरकारी/किराये का वाहन उपलब्ध है इन वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर 2 अथवा 1 वाहन किराये पर लिया जाना है। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक अधिकारी की अग्रिम भ्रमण योजना तैयार कर मुख्य चिकित्साधिकारी के अनुमोदन उपरान्त राज्य स्तर पर प्रेषित की जानी है। अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर से उपलब्ध करायी गयी निर्धारित चेकलिस्ट पर स्वास्थ्य इकाईयों एवं क्षेत्रीय गतिविधियों का निरीक्षण किया जाना है।

**ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु:**

चिकित्साधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लाक मैनेजर, ब्लाक लेखा प्रबन्धक (बी.डी.ए.ए.) एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष एवं महिला):-

ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में भ्रमण हेतु निम्न पर्यवेक्षण व्यवस्था निर्धारित की गयी है:

**चिकित्साधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र:** चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रतिमाह कम-से-कम 2 विजिट कर 2 खराब उपलब्धि वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2 खराब उपलब्धि वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र का क्षेत्रीय भ्रमण किया जाना है।

**प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र:** प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह कम-से-कम 2 विजिट कर 2 खराब उपलब्धि वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 2 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का क्षेत्रीय भ्रमण किया जाना है।

**ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर:** ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक मैनेजर द्वारा प्रतिमाह 8 विजिट कर निम्नलिखित का पर्यवेक्षण किया जाना है:

- 2 स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आउटरीच गतिविधियां जैसे- नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जननी सुरक्षा योजना।
- 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 स्वास्थ्य उपकेन्द्र/ आउटरीच गतिविधियां जैसे- नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जननी सुरक्षा योजना।
- ब्लॉक स्तरीय सभी भ्रमण हेतु मासिक कैलेण्डर ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा ये

दोनों अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य इकाईयां वर्ष भर में कवर हो जायें।

**वित्तीय व्यवस्था:** ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में भ्रमण हेतु 1 अतिरिक्त किराये के वाहन अधिकतम ₹0 25,000/- प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से सुविधा प्रदान की गयी है। सरकारी वाहन उपलब्ध न होने की अवस्था ब्लाक स्तरीय अधिकारियों हेतु 1 वाहन जोकि टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत हो, को नियमानुसार अधिकतम मासिक दर ₹0 25,000/- प्रतिमाह प्रति वाहन किराये पर लिया जाना है। समस्त ब्लाक स्तरीय अधिकारी जिनके पास सरकारी वाहन या पूर्व से उपलब्ध वाहन नहीं है वह इस वाहन का उपयोग पूर्ण मितव्ययिता का पालन करते हुये करेंगे इसके लिये प्रतिमाह प्रत्येक अधिकारी द्वारा अग्रिम भ्रमण योजना तैयार की जाये, जिसको जनपद स्तर पर प्रेषित किया जाये।

**नोट:** ब्लाक स्तरीय अधिकारी जिनके पास पूर्व से सरकारी/किराये का वाहन उपलब्ध है इन वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक अधिकारी की अग्रिम भ्रमण योजना तैयार कर जनपद स्तर पर प्रेषित की जानी है। अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर से उपलब्ध करायी गयी निर्धारित चेकलिस्ट पर स्वास्थ्य इकाईयों एवं क्षेत्रीय गतिविधियों का निरीक्षण किया जाना है।

समस्त मण्डल, जनपद तथा अन्य पर्यवेक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है:

- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिला एकाउन्ट मैनेजर, ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर तथा ब्लाक एकाउन्ट मैनेजर को दिशानिर्देशों में माह में अंकित विजिट को किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य की अधिकता या किसी कारणवश भ्रमण न किये जाने पर एस.पी.एम.यू. में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग से एवं अपने नियंत्रक अधिकारी को सूचित करना होगा।
- डिलीवरी प्वाइन्ट हेतु चेकलिस्ट लेवल-3, लेवल-2 एवं लेवल-1 उपलब्ध करायी गयी है जिसमें जिला महिला चिकित्सालय तथा एफ.आर.यू., सी.एच.सी. को लेवल-3 स्वास्थ्य इकाई, अन्य सी.एच.सी./ब्लाक पी.एच.सी./पी.एच.सी. को लेवल-2 तथा एक्रीडेटेड स्वास्थ्य उपकेन्द्र को लेवल-1 स्वास्थ्य इकाई की तरह चिन्हित किया गया है। समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चेकलिस्ट को तदनुसार उपयोग में लाया जाये।
- समस्त अधिकारी विभिन्न इकाईयों/गतिविधियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार करेंगे। क्षेत्र में जाने से पूर्व सम्बन्धित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध जननी सुरक्षा योजना की सूची को नोट करें तथा उन्हें टिक मार्क भी करें जिनका सत्यापन आप करने जा रहे हैं। जिन लाभार्थियों का सत्यापन अन्य पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा चुका है उनका सत्यापन न करें। चेकलिस्ट को कार्यस्थल पर ही भरा जायेगा।
- ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम व प्राप्त समस्त भ्रमण चेकलिस्ट की प्रति जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को संकलन एवं विश्लेषण हेतु प्रेषित की जायेगी। सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर कमियों के निराकरण व स्वास्थ्य इकाईयों को फीडबैक प्रेषित किया जायेगा। त्रैमासिक आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्यवाहियों पर प्रगति आख्या बैठक के एजेण्डे के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।
- मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण करने के उपरान्त चेकलिस्ट एवं निरीक्षण आख्या जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के माध्यम से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी तथा माह के अन्त में मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अपने जनपदों की निरीक्षण आख्या एवं चेकलिस्ट को एस.पी.एम.यू. में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग में प्रेषित किया जायेगा जिसके द्वारा रिपोर्ट की एनॉलिसिस कर जनपदों को कार्यवाही हेतु फीडबैक प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड नम्बर: **A.10.7 Mobility support for Field Visit** हेतु कुल ₹0 29640000.00 (₹0 उन्तीस करोड़ चौसठ लाख) धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि मण्डल एवं ब्लाक स्तर हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि को तत्काल सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक तथा ब्लाक स्वास्थ्य इकाईयों को उपलब्ध करा दें जिससे कि

उनके द्वारा तत्काल पर्यवेक्षण प्रारम्भ किया जा सके। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण गतिविधियों की अपने स्तर से समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मण्डलीय अपर निदेशक जनपदीय भ्रमण में निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा एस.पी.एम.यू., एन.आर.एच.एम. को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

02/8/13  
(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक


पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2013-14/4/2164-75-9 तददिनांक:

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन/महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से पत्र की प्रतिलिपि को मण्डलीय अपर निदेशको एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा कार्यक्रम का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम. उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम. उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/8/13  
(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक



**Division and District wise budget summary of Mobility support for Field Visit  
for 2013-14 (FMR Code no. A.10.7)**

Amount in Lakhs

Sl.No.	Name of Districts	No. of Blocks	FMR A.10.7.4.1	FMR A.10.7.2	FMR A.10.7.3	Total
			Div PMU Division & AD office	DPMU/District	BPMU/Block	
			Mobility support 1 vehicle per Division @ Rs 25000/- per month per Vehicle	Mobility support 2 vehicle per District @ Rs 25000/- per month per Vehicle	Mobility support 1 vehicle per Block @ Rs 25000/- per month per Vehicle	
1	Agra	15	3.00	6.00	45.00	54.00
2	Aligarh	12	3.00	6.00	36.00	45.00
3	Allahabad	20	3.00	6.00	60.00	69.00
4	Ambedkarnagar	9		6.00	27.00	33.00
5	Amethi	16		6.00	48.00	54.00
6	Amroha	6		6.00	18.00	24.00
7	Aurayya	7		6.00	21.00	27.00
8	Azamgarh	22	3.00	6.00	66.00	75.00
9	Baghpat	6		6.00	18.00	24.00
10	Bahraich	14		6.00	42.00	48.00
11	Balia	17		6.00	51.00	57.00
12	Balrampur	9		6.00	27.00	33.00
13	Banda	8		6.00	24.00	30.00
14	Barabanki	15		6.00	45.00	51.00
15	Bareilly	15	3.00	6.00	45.00	54.00
16	Basti	14	3.00	6.00	42.00	51.00
17	Bhadohi	6		6.00	18.00	24.00
18	Bijnor	11		6.00	33.00	39.00
19	Budaun	15		6.00	45.00	51.00
20	Buland Shahar	16		6.00	48.00	54.00
21	Chandauli	9		6.00	27.00	33.00
22	Chitrakoot	5	3.00	6.00	15.00	24.00
23	Deoria	16		6.00	48.00	54.00
24	Etah	8		6.00	24.00	30.00
25	Etawah	8		6.00	24.00	30.00
26	Faizabad	11	3.00	6.00	33.00	42.00
27	Farrukhabad	7		6.00	21.00	27.00
28	Fatehpur	13		6.00	39.00	45.00
29	Ferojabad	9		6.00	27.00	33.00
30	GautamBuddhaNagar	4		6.00	12.00	18.00
31	Ghaziabad	4		6.00	12.00	18.00
32	Ghazipur	16		6.00	48.00	54.00
33	Gonda	16	3.00	6.00	48.00	57.00
34	Gorakhpur	19	3.00	6.00	57.00	66.00
35	Hamirpur	7		6.00	21.00	27.00
36	Hapur	4		6.00	12.00	18.00

*Ref*





Sl.No.	Name of Districts	No. of Blocks	FMR A.10.7.4.1	FMR A.10.7.2	FMR A.10.7.3	Total
			Div PMU Division & AD office	DPMU/District	BPMU/Block	
			Mobility support 1 vehicle per Division @ Rs 25000/- per month per Vehicle	Mobility support 2 vehicle per District @ Rs 25000/- per month per Vehicle	Mobility support 1 vehicle per Block @ Rs 25000/- per month per Vehicle	
37	Hardoi	19		6.00	57.00	63.00
38	Hathrus	7		6.00	21.00	27.00
39	Jalaun	9		6.00	27.00	33.00
40	Jaunpur	21		6.00	63.00	69.00
41	Jhansi	8	3.00	6.00	24.00	33.00
42	Kannauj	8		6.00	24.00	30.00
43	Kanpur Dehat	10		6.00	30.00	36.00
44	Kanpur Nagar	10	3.00	6.00	30.00	39.00
45	Kasganj	7		6.00	21.00	27.00
46	Kaushambi	8		6.00	24.00	30.00
47	Kushi Nagar	14		6.00	42.00	48.00
48	Lakhimpur Khiri	15		6.00	45.00	51.00
49	Lalitpur	6		6.00	18.00	24.00
50	Lucknow	8	3.00	6.00	24.00	33.00
51	Maharajganj	12		6.00	36.00	42.00
52	Mahoba	4		6.00	12.00	18.00
53	Mainpuri	9		6.00	27.00	33.00
54	Mathura	10		6.00	30.00	36.00
55	Mau	9		6.00	27.00	33.00
56	Meerut	12	3.00	6.00	36.00	45.00
57	Mirzapur	8	3.00	6.00	24.00	33.00
58	Moradabad	8	3.00	6.00	24.00	33.00
59	Muzaffarnagar	9		6.00	27.00	33.00
60	Pilibhit	7		6.00	21.00	27.00
61	Pratapgarh	17		6.00	51.00	57.00
62	Raibareilly	15		6.00	45.00	51.00
63	Rampur	6		6.00	18.00	24.00
64	Saharanpur	11	3.00	6.00	33.00	42.00
65	Sambhal	8		6.00	24.00	30.00
66	Sant Kabir Nagar	9		6.00	27.00	33.00
67	Shahjahanpur	15		6.00	45.00	51.00
68	Shamli	5		6.00	15.00	21.00
69	Shrawasti	5		6.00	15.00	21.00
70	Siddharth Nagar	14		6.00	42.00	48.00
71	Sitapur	19		6.00	57.00	63.00
72	Sonbhadra	12		6.00	36.00	42.00
73	Sultanpur	13		6.00	39.00	45.00
74	Unnao	16		6.00	48.00	54.00
75	Varanasi	8	3.00	6.00	24.00	33.00
	<b>Total</b>	<b>820</b>	<b>54.00</b>	<b>450.00</b>	<b>2460.00</b>	<b>2964.00</b>

*Ref*

